विदेशी मुद्रा गतिविधियां

मार्च 2010

i) बाह्य वाणिज्य उधार (ईसीबी) नीति

वर्तमान बाह्य वाणिज्य उधार (ईसीबी) नीति के अनुसार, संरचना क्षेत्र (i) बिजली, (ii) दूरसंचार,(iii) रेलवे,(iv) पुल समेत रोड,v) बंदरगाह,vi) औद्योगिक पार्क, (vii) शहरी बुनियादी आवश्यकताएं (पानी की आपूर्ति, स्वच्छता एवं जल-मल निकासी परियोजनाएं), (viii) खनन, अन्वेषण और परिष्करण के रूप में परिभाषित है।

वर्ष 2010-11 के लिए केंद्रीय बजट के पैराग्राफ 54 में यथा घोषित,यह निर्णय लिया गया है कि 'कृषि और अनुषंगी उत्पाद, समुद्री उत्पादों और मांस के परिरक्षण अथवा भंडारण के लिए खेत-स्तर पर प्री-कूलिंग सहित शीतगृहों में भंडारण अथवा कोल्ड रूम - सुविधा' शामिल किये जाने के लिए बाह्य वाणिज्य उधार लेने के प्रयोजन से संरचना क्षेत्र की परिभाषा के दाये में विस्तार किया जाए। तदनुसार, अब इसके आगे से संरचना क्षेत्र की परिभाषा में (i) बिजली,(ii) दूरसंचार,(iii) रेलवे,(iv) पुल समेत रोड,v) बंदरगाह,(vi) औद्योगिक पार्क,(vii) शहरी बुनियादी आवश्यकताएं (पानी की आपूर्ति, स्वच्छता एवं जल-मल निकासी परियोजनाएं), और (viii) खनन,अन्वेषण और परिष्करण और (ix) कृषि और अनुषंगी उत्पाद, भंडारण के लिए खेत-स्तर पर प्री-कूलिंग सहित शीतगृहों में भंडारण अथवा कोल्ड रूम -सुविधा शामिल की जायेगी ।

ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं.3,
02 मार्च 2010

ii) बाह्य वाणिज्य उधार (ईसीबी) नीति

वर्तमान बाह्य वाणिज्य उधार (ईसीबी) नीति के अनुसार, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसीएस) जो केवल संरचना क्षेत्र के लिए वित्तपोषण करती हैं, को मौजूदा बाह्य वाणिज्य उधार (ईसीबी) नीति में यथा

परिभाषित संरचना क्षेत्र को आगे उधार देने के लिए अनुमोदन मार्ग के तहत अंतर्राष्ट्रीय बैंकों सहित मान्यताप्राप्त उधारदाता श्रेणी से बाह्य वाणिज्य उधार (ईसीबी) लेने के लिए अनुमति दी गयी है ।

संरचना क्षेत्र के विकास को दी गयी गति को देखते हुए, 12 फरवरी 2010 के परिपत्र डीएनबीएस.पीडी.सीसी सं. 168/03.02.089/2009-10 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसीएस) की एक अलग श्रेणी अर्थात् इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी (आइएफसीएस) बनायी गयी है । स्थापित की गयी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसीएस) की नई श्रेणी को देखते हुए उपर्युक्त पैराग्राफ 2 में किये गये प्रबंध आवश्यक प्रतीत नहीं होते हैं । तदनुसार, इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों (आइएफसीएस), जिन्हें रिज़र्व बैंक द्वारा इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, द्वारा संरचना क्षेत्र को आगे उधार देने के लिए अनुमोदन मार्ग के तहत बाह्य वाणिज्य उधार (ईसीबी) के लिए प्रस्तावों पर विचार किया जाए बशर्ते वे कतिपय शर्तें पूर्ण करते हैं :

भरिबैंक/2009-10/334 ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.39, 02 मार्च 2010

iii) बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति - संसरचनागत बाध्यताएँ

वर्तमान नीति के अनुसार, अनुमोदित मार्ग के तहत अनिवासी व्यक्ति द्वारा स्वदेशी मूल्य-वर्गांकित सुनियोजित दायित्वों को संवृद्ध ऋण की अनुमति है । बुनियादी सुविधा क्षेत्र में निधियों की बढ़ती हुई जरूरतों को ध्यान मे रखते हुए वर्तमान मानदंडों की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि स्वदेशी ऋण में ऋण संवृद्धि पर निम्नवत् एक व्यापक नीतिगत ढाँचा तैयार किया जाए:-

अब यह निर्णय लिया गया है कि पात्र अनिवासी संस्थाओं द्वारा ऋण में वृध्दि की सुविधा, केवल संरचना क्षेत्र के विकास में लगी भारतीय कंपनियों द्वारा और इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों (आइएफसीएस), जिन्हें रिज़र्व बैंक द्वारा 12 फरवरी 2010 के परिपत्र डीएनबीएस.पीडी.सीसी सं. 168 / 03.02.089 / 2009-10 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, द्वारा पूंजी बाजार लिखतों, जैसे डिबेंचरों और बांडों के जारी करने के जरिये उठाये गये आंतरिक ऋण तक बढ़ायी जाए, बशर्ते वे कतिपय शर्तें पूर्ण करते हैं :

आरबीआइ/2009-10/335 एपी (डीआईआर सिरीज़) परिपत्र सं.40, 02 मार्च, 2010

iv) एक्जिम बैंक की बेनिन गणराज्य सरकार को 15 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) ने रिपब्लिक ऑफ बेनिन को, (क) रेल्वे उपकरण की खरीद, (ख) कृषि उपकरण की खरीद और (ग) बेनिन में एक साइबर सिटी स्थापित करने की सम्भाव्यता (फ़ीज़ेबिलिटी) का अध्ययन करने के प्रयोजन से भारत से परामर्शदात्री सेवाओं सहित सुयोग्य वस्तुएं, मशीनरी, उपकरण और सेवाओं के वित्तपोषण के लिए 15 मिलियन अमरीकी डॉलर (पंद्रह मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) तक की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए 19 अक्तूबर, 2009 को रिपब्लिक ऑफ बेनिन सरकार के साथ एक करार करने का निर्णय किया है।

ऋण व्यवस्था के तहत यह ऋण करार 16 फरवरी 2010 से लागू है और इस करार के निष्पादन की तारीख 19 अक्तूबर, 2009 है। ऋण व्यवस्था के तहत परियोजना निर्यात के मामले में साख पत्र खोलने तथा संवितरण की अंतिम तारीख संविदा (संविदाएं) पूर्ण

होने की निर्धारित तारीख (तारीखों) से 48 माह होगी और आपूर्ति संविदा के मामले में ऋण करार के निष्पादन की तारीख से 72 माह (18 अक्तूबर,2015) होगी ।

आरबीआइ 2009-10/341 ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.41, 05 मार्च 2010

v) एक्जिम बैंक की जाम्बिया गणराज्य सरकार को 50 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने जाम्बिया गणराज्य सरकार के साथ झाम्बिया में ईटेझी-तेझी जल ऊर्जा परियोजना के लिए भारत से परामर्शदात्री सेवाओं सहित सुयोग्य वस्तुं और सेवाओं के वित्तपोषण के लिए 50 मिलियन अमरीकी डॉलर (पचास मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) तक की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए 6 जनवरी 2010 को एक करार करने का निर्णय किया है।

ऋण व्यवस्था के तहत यह ऋण करार 4 मार्च 2010 से लागू है और इस करार के निष्पादन की तारीख 6 जनवरी 2010 है । इस ऋण व्यवस्था के तहत परियोजना निर्यात के मामले में साख पत्र खोलने तथा संवितरण की अंतिम तारीख संविदा (संविदाएं) पूर्ण होने की निर्धारित तारीख (तारीखों) से 48 माह होगी और आपूर्ति संविदा के मामले में करार निष्पादन की तारीख से 72 माह(5 जनवरी 2016) होगी ।

ए.पी.(डीआईआर सिरीज)परिपत्र सं.42, 25 मार्च 2010

vi) भारत सरकार और पूर्ववर्ती यूएसएसआर के बीच 30 अप्रैल 1981 तथा 23 दिसंबर 1985 केआस्थगित भुगतान राजकीय व्यापार समझौते

एपी डीआइआर (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.3, दिनांक 17 जुलाई, 2009 के अनुसार विशिष्ट करेंसी बास्केट की रुपए में कीमत को 25 जून 2009 से 66.5719 रु. दिखाया गया था।

06 जनवरी 2010 को एक और संशोधन हुआ है और तदनुसार, 11 जनवरी 2010 से विशेष करेंसी बास्केट का रुपया मूल्य 65.29 रुपये नियत किया गया है

[ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.43, 29 मार्च 2010

vii) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबीएस) की वापसी खरीद / पूर्व भुगतान

13 मार्च 2009 के अनुसार, भारतीय कंपनियों को स्व-चालित मार्ग तथा अनुमोदन मार्ग के तहत 31 दिसंबर 2009 तक अपने विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की वापसी खरीद के लिए अनुमति दी गई थी । उक्त योजना 1 जनवरी 2010 से समाप्त कर दी गई थी।

विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के जारीकर्ताओं द्वारा किये गये अभ्यावेदनों पर विचार करते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि अनुमोदन मार्ग के तहत, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड की वापसी खरीद के लिए 30 जून 2010 तक प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार किया जाए बशर्ते जारीकर्ता 8 दिसंबर 2008 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.39 और 28 अप्रैल 2009 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.65 में दर्शाये गये अनुसार, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड की वापसी - खरीद/पूर्व भुगतान संबंधी सभी शर्तें पूर्ण करते हों। तदनुसार, शर्तें पूर्ण करनेवाले अभ्यावेदन, समर्थक कागजातों के साथ पदनामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक के जरिये प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, बाह्य वाणिज्य उधार प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, 11वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई-400001 को प्रस्तुत किये जाएं ।

ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.44, 29 मार्च 2010